डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक : 68 /फा.सं.–1454/कोविड–19/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2022–23 दिनाँक :15 अप्रैल, 2023

// कार्यालय–आदेश //

प्रदेश में कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत् विश्वविद्यालय में कोरोना से बचाव हेतु विश्वविद्यालय में परिसर में साफ–सफाई, सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने की नितान्त आश्यकता है।

कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण से बचाव हेतु विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकवृन्द, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एवं समस्त विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 सम्बन्धी निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है, बिना मास्क के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश निषेध रहेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2, कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
7. चिकित्सा अधीक्षक, विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी, नजारत अनुभाग को इस निर्देश के साथ विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित सेनेटाइजर मशीनों में सेनेटाइजर की सतत् आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करें।
9. समस्त गार्ड, सेवा प्रदाता एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक मुख्य द्वार से सभी विद्यार्थियों/कार्मिकों को बिना मास्क लगाये प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित करें।
10. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव